

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.rajasthan.in

क्रमांक:-सहायता/बाढ़/2020/ 968

दिनांक: 12.3.2021

प्रशासनिक स्वीकृति

दिनांक 14.8.2020 को तहसील आमेर क्षेत्र में हुई अत्यधिक वर्षा के फलस्वरूप हुये जलप्लावन के कारण कस्बा आमेर में कपड़े एवं बर्तन की क्षति का प्रकरण तहसीलदार, आमेर के पत्रांक भूअ./21/1745 दि. 24.2.1 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एवं वांछित प्रमाण पत्र सहित प्राप्त हुआ है। जिसका परीक्षण किया गया तथा "राज्य आपदा मोचन निधि" के निर्धारित मानदण्डों के तहत नियमानुसार देय सहायता राशि की गणना किए जाने उपरान्त सहायता स्वीकृति योग्य पाए गए नीचे अंकित प्रकरण में उनके नाम के सामने अंकित राशि आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान के आदेश क्रमांक 32-7/2014-एन डी एम. 1 दि. 8.4.15 में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसरण में भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

क्र स	प्रभावित का नाम मय वर्तियत	तहसील	ग्राम का नाम	क्षति की दिनांक	क्षति का प्रकार	देय राशि		
						केन्द्रीय मद 75 %	राज्य मद 25 %	योग
1	श्री मौहम्मद मोहसिन पुत्र श्री मौहम्मद याकूब नि. रहमत कॉलानी, ठाठर रोड, आमेर	आमेर	कस्बा आमेर	14.8.20	कपड़े एवं बर्तन	1350	450	1800
					योग	1350	450	1800

(अक्षरे रुपये एक हजार आठ सौ मात्र)

राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्नांकित बजट मद से किया जावेगा:-

मांग संख्या-34

2245-प्राकृतिक विपत्ती के कारण राहत

02-बाढ़ चक्रवात आदि

101-आनुग्रहिक राहत

(16)-बाढ़ क्षेत्र में आनुग्रहिक राहत

[05] - कपड़े एवं बर्तन

12-सहायतार्थ अनुदान [p]

- 1- राशि का व्यय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा इस कार्यालय द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।
- 2- उपरोक्त अंकित प्रभावितों के आवास की क्षति का आंकलन सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाने के आधार पर सहायता राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।
यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

अति. जिला मजिस्ट्रेट,
नगर-दक्षिण, जयपुर

क्रमांक:-सम/ 969-76

दिनांक: 12.3.2021

प्रतिलिपि:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर
- 2- वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।
- 3- कोषाधिकारी जयपुर शहर/ग्रामीण/उपकोषाधिकारी, आमेर
- 4- उपखण्ड अधिकारी, आमेर
- 5- तहसीलदार आमेर
- 6- संबंधित

अति. जिला मजिस्ट्रेट,
नगर-दक्षिण, जयपुर

प्राकृतिक कारणों से आवास व्यवस्था/जनहानि/पशहानि होने से

प्रपत्र-1

1	प्रार्थी का नाम	मो० मोहम्मदीन
2	पिता/पति का नाम	मो० बाबू व रवान
3	जाति	मुसलमान
4	पेशा	मजदूर
5	निवास स्थान का पता	रहमत नगर कॉलोनी हावर रोड
6	चाही गई सहायता राशि	आमेर नियमानुसार
7	प्राकृतिक आपदा/अग्निकांड/जल/आकाशीय बिजली गिरने का स्थान	वर्षा (अग्नि वृष्टि)
8	दुर्घटना घटित होने की तिथि	14/8/2020
9	प्रार्थी का बैंक खाता संख्या	50100235157444
10	बैंक शाखा का नाम	HDFC BANK LTD
11	IFSC कोड नम्बर (बैंक पासबुक के प्र पेज की फोटो कॉपी अनिवार्य रूप से संलग्न करें)	HDFC 0003623
12	आधार कार्ड संख्या	320766547252
13	भामाशाह कार्ड संख्या	5025192713

मोहम्मदीन

तहसीलदार की जाँच रिपोर्ट

1. परिवार के मुखिया का नाम एवं जाति	मो० मोहरीन पुत्र मो० याक़ूब खान जाति - मुसलमान			
2. परिवार के सदस्यों का विवरण	नाम सदस्य	सम्बन्ध	आयु	पेशा
	मो० मोहरीन खान	स्वयं	33	
	मुरकान अली	पति	24	
	मिहबा	पुत्री	04	
3. प्राकृतिक आपदा/अग्निकाण्ड में हुई क्षति की अनुमानित राशि	नियमानुसार			
4. (अ) कृषि भूमि सिंचित से आय	—			
(ब) कृषि भूमि असिंचित से आय	—			
(स) मजदूरी से	1800000/कामि			
(द) व्यवसाय से	मजदूरी			
5. जिस स्थान पर प्राकृतिक आपदा/अग्निकाण्ड कारित हुआ है, उस भूमि का स्वामित्व स्पष्ट रूप से अंकित करें।	सोसायटी द्वारा जारी आवासीय पट्टा			

संगोदर
प. अमर
हस्ताक्षर पटवारी

76
हस्ताक्षर (म.अ.)
तहसीलदार तहसील-आमर, जयपुर

प्राकृतिक आपदा / अग्निकाण्ड से हुई हानि का विवरण

SDRF Norms के बिन्दु सं 9 (ए से ई) में अंकित प्रावधान अनुसार देय		
1. सम्पूर्ण / गंभीर / आंशिक क्षति अनुमानित हानि राशि..... (लाखों में) (नोट : आवास की क्षति यदि 15 % से अधिक हो, तो क्षति का प्रतिशत आवश्यक रूप से अंकित किया जावे)	पूर्ण / गंभीर क्षतिग्रस्त	क्षति का प्रतिशत
	(अ) पक्का आवास	100%
	(ब) कच्चा आवास	-
	आंशिक क्षति	-
	(अ) पक्का आवास	-
	(ब) कच्चा आवास	-
	(स) झोंपड़ी	-
	(द) पशु बाड़ा	-
	(पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर)	-
SDRF Norms के बिन्दु सं 1 (डी) में अंकित प्रावधान अनुसार देय		
2. पहनने के कपड़े, बिस्तर आदि की क्षति	वस्तुएं	रुपये
	हल - कोट्स इ	15000/-
	बिस्तर आदि	
3. भोजन व्यवस्था / घरेलू सामान से संबंधित क्षति	वस्तुएं	रुपये
	खाना - पीने के सामान	10000/-
	सर्वर, सामान	
	आदि	
SDRF Norms के बिन्दु सं 1 (ए, बी, सी) में अंकित प्रावधान अनुसार देय		
5. (अ) जनहानि	1. मानव क्षति प्राकृतिक आपदा / अग्निकाण्ड / आकाशीय बिजली गिरने से मानव क्षति के संबंध में मृतक का नाम, पिता / पति का नाम, जाति, आयु, एफ. आई.आर. व पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित (लाल स्थायी से जाँच अधिकारी स्पष्ट अभिशंका सहित रिपोर्ट करें)	कोई जन हानि नहीं
5. (ब) स्थाई दिव्यांगयता	2- स्थाई रूप से दिव्यांग होने की स्थिति में दिव्यांग का नाम, पिता / पति का नाम, जाति, आयु, एफ.आई.आर. व सक्षम चिकित्साधिकारी का विकलांग प्रमाण पत्र	नहीं

संतोष कुमार
हस्ताक्षर पट्ट्यारी

सहसिलदार (मू.अ.)
तहसील-आमेर, जयपुर

	सहित (लाल-सहायी से जाँच अधिकारी स्पष्ट अभिशंका सहित रिपोर्ट करें)	नहीं
3. गंभीर घायल	3- गंभीर घायल (चिकित्सालय में भर्ती होने संदर्भित चिकित्सा दस्तावेज़ात संलग्न करें।)	नहीं
4. मृत जानवर/सीमान्त क्षेत्रों को ही दें)	बुध्दार्थ पशु या अन्य पशुओं की प्राकृतिक आपदा/अग्निकांड/आकाशिय बिजली से मृत्यु होने पर स्पष्ट रिपोर्ट अंकित की जाये तथा मृत पशु के संबंध में मय पोस्टमार्टम रिपोर्ट (गाध, भैंस, बकरी, भेड़, ऊँट, गधा आदि वन अंकन किया जावे)	कोई नहीं
5. प्राकृतिक आपदा/अग्निकांड के पश्चात शेष रहे सामान का विवरण	सामान	अनुमानित राशि
	कोई नहीं	नहीं
6. प्राकृतिक आपदा/अग्निकांड के पश्चात निवास का विवरण	(1) निवास स्थान शेष है अथवा नहीं (2) अन्यत्र आवास व्यवस्था शेष है अथवा नहीं (3) यदि आवास व्यवस्था शेष नहीं है तो अस्थाई आवास की क्या व्यवस्था है	नहीं नहीं मादिक घर में परिवर्तित करवाया
8. प्रभावित व्यक्ति को 08.04.2015 के प्रावधानानुसार सहायता दिए जाने के संबंध में अपनी स्पष्ट अनुशंसा मय टिप्पणी के भिजवाये।	निम्नानुसार सहायता राशि दिया जाना उचित होगा।	

संतोदा
प-आमेर

हस्ताक्षर तहसीलवार (भू.अ.)
तहसील-आमेर, जयपुर